

पर्व डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,  
जिला हनुमानगढ़  
पीठारसीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 270/2013

मि०न० 270/2013

1. गुरदीप सिंह } पि०- सिगारासिंह कौम जटसिख निवारीयान- चक 2 टीएलडबल्यू  
2. हरदीपसिंह } तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़  
3. अमरीकसिंह }

बनाम

वादीगण

1. सरिता } पुत्रियाँ - स्व० वेदप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी तलवाडाझील तहसील  
2. विजया } टिब्बी जिला हनुमानगढ़।  
3. वीना }
4. अनिल पुत्र स्व० वेदप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. पूजा देवी पत्नी स्क रविन्द्रकुमार पुत्र स्व० वेदप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. नवीन शुत्र नाबालिग पुत्र रविन्द्र कुमार जरिये ० पूजा पत्नी रविन्द्रकुमार कुदरती वली माता कौम अग्रवाल निवासी तलवाडाझील तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण



डिक्री


दिनांक 13/6/2013

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा व प्रतिवादी वकील सुभाष चन्द्र गर्ग अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद प्रतिवादी स० 4 साक्ष्य सबूतों एवं वादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण काउन्टर क्लेम प्रतिवादी स० 4 डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं० 3 टी. एल. डबल्यू के खाता सं० 233/225 प०न० 238/291 मु० 26 किलानं० 17/. 253 आराजी का प्रतिवादी सं० 4 खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करवाकर चक नं० 3 टी.एल.डबल्यू के खाता सं० 233/225 में से वेदप्रकाश का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किरसी सक्षम न्यायालय का स्थगन

नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामुद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह धर्चा डिक्री आज दिनांक 13/11/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
(राज आरायण R.A.S.)  
जज (अधीनस्थी राजस्व)  
पट्टे में संलग्न कलक्टर  
दिल्ली।